कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही

—:आवश्यक सुचनाः—

क्रमांकः— 2035 , दिनांकः—18/5/26

नारी संवाद सामुदायिक समाधान मंच हेतु मध्यस्थ नियुक्ति की आम सूचना

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एक नवीन योजना " Community Mediation: Towards a Litigation-Free Rural India" (नारी संवादः सामुदायिक समाधान मंच) कार्यक्रम, 2026 का दिनांक 04.05.2026 को प्रमोचन किया गया है। जो माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा कार्यालय पत्रांक F-4(249)/रालसा/मध्यस्थता/नारी संवाद/2026/12218—12261 दिनांक 12.05.2026 के माध्यम से प्रेषित की गई। उक्त कार्यक्रम का उदेश्य ग्राम स्तर पर सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करते हुए विवादों का सौहार्दपुर्ण एवं प्रारम्भिक समाधान सुनिश्चित करना तथा अनावश्यक वाद—विवाद एवं मुकदमेबाजी को कम करना है। उक्त कार्यक्रम के तहत जिले के निम्नानुसार नीचे अंकित 5 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक से एक 15 सदस्यीय सामुदायिक मध्यस्थों के समूह में शामिल सम्मानित निष्पक्ष प्रतिष्ठित महिलाऐं/महिला संरपच/पुर्व पंच, महिला स्व—सहायता समूहों की नेता लीडर्स, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ता, अनुभवी पी0एल0वी0, महिला अधिवक्ता/शिक्षिकाएं, सेवानिवृत्त महिला सरकारी अधिकारी, तथा महिला पुलिस कर्मी विशेषकर समुदाय—आउटरीच से जुड़ी हुई महिलाओं को प्राथमिकता देते हुऐ सर्वप्रथम एक वर्ष के लिए चयनित करने हेतु पात्र महिलाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम
1.	नया सानवाड़ा, पिण्ड़वाड़ा
2.	ऊड़, सिरोही
3.	ऊथमण, शिवगंज
4.	गनका, आबुरोड़
5.	सोनेला, रेवदर

नारी संवाद सामुदायिक समाधान मंच हेतु नियुक्त मध्यस्थ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही के निर्देशानुसार कार्य करेगें। चयनित महिला पंचायतों के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार वरिष्ठ मध्यस्थ/मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रदान की जावेगीं।

1. **शैक्षणिक योग्यता** :— आवेदक का शिक्षित होना आवश्यक है। वरीयता का आधार आवेदक का दसवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।
2. **आवेदन पत्र** :— आवेदन करने वाली महिला आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय **ए.डी.आर. सेन्टर, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सिरोही** से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है अथवा जिला न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/sirohi से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते है।
3. **शारीरिक योग्यता** :— आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो कि सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।
4. **आवेदन की अंतिम तिथि** :— आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के कार्यालय **ए.डी.आर. सेन्टर, जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर, सिरोही** में दिनांक **25.05.2026 को दोपहर 12.30 बजे तक** पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात् व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे** :—
 1. जन्मतिथि प्रमाणपत्र हेतु सैकण्ड़री स्कुल परीक्षा की अथवा प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।
 3. आधार कार्ड एवं राशन कार्ड (निवास स्थान के सत्यापन हेतु) की स्वप्रमाणित प्रति।

कार्यालयः– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही

6. **पात्रता** :– नारी संवाद सामुदायिक समाधान मंच हेतु मध्यस्थों का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हे शोर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। नारी संवाद सामुदायिक समाधान मंच के लिये निम्नलिखित महिलाऐं पात्र हो सकती है :–

1. सम्मानित निष्पक्ष प्रतिष्ठित महिलाऐं/महिला सरपंच/वार्ड पंच
2. महिला स्व–सहायता समूहों की नेता लीड़र्स
3. आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ता
4. अनुभवी पी0एल0वी0 महिला अधिवक्ता/शिक्षिकाएं
5. सेवानिवृत महिला सरकारी अधिकारी
6. महिला पुलिस कर्मी विशेषकर समुदाय–आउटरीच से जुड़ी हुई महिलाऐं

7. नारी संवाद सामुदायिक समाधान मंच हेतु चयनित मध्यस्थों के कर्तव्य (ड्युटी):–

1. उक्त कार्यकम का उद्देश्य ग्राम स्तर पर सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करते हुऐ विवादों का सौहार्दपुर्ण एवं प्रारम्भिक समाधान सुनिश्चित करना तथा अनावश्यक वाद–विवाद एवं मुकदमेबाजी को कम करना है।

नोटः–

1. निम्नलिखित महिलाऐं ''नारी संवाद सामुदायिक समाधान मंच'' हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नही है। किसी अपराध में अभियुक्त हो, ऐसी महिलाऐं जो मानसिक रूप से नारी संवाद सामुदायिक समधान मंच हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असक्षम हो। ऐसी महिलाऐं जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर ''नारी संवाद सामुदायिक समाधान मंच'' के हितों को प्रभावित करते हो।
2. ''नारी संवाद सामुदायिक समाधान मंच'' हेतु मध्यस्थों की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित संपुर्ण अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही के पास सुरक्षित रहेंगे।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सिरोही (राज0)

क्रमांक/जिविसेप्रा/नारी संवाद–विज्ञप्ति/2026/2036-2049 दिनांकः– 18/05/26

प्रतिलिपि वास्ते सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीः–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही ।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, शिवगंज/रेवदर/आबुरोड/पिण्डवाड़ा/आबुपर्वत
3. सूचना पटट् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायालय, सिरोही ।
4. श्रीमान् ब्लॉक विकास अधिकारी, सिरोही/आबुरोड़/पिण्डवाडा/रेवदर/शिवगंज
5. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, सिरोही।
6. सिस्टम ऑफिसर ई–कोर्ट, सिरोही।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सिरोही (राज0)

नारी संवाद समधान मंच

मध्यस्थ हेतु आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम	:	आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो
2.	पिता/पति का नाम	:	
3.	यदि आवेदक अविवाहित है तो स्पष्ट "अविवाहित" लिखें)	:	
4.	जाति	:	
5.	संवर्ग–सामान्य/अजा/अजजा/ अपिवर्ग (जिस वर्ग से संबंधित हो लिखें)	:	
6.	स्थायी पता	:	
7.	वर्तमान पता	:	
8.	मोबाईल नंबर	:	
9.	ई–मेल आईडी	:	
10.	ग्राम पंचायत नाम	:	
11.	जन्म तिथि (अंकों एवं शब्दों में)	:	
12.	शैक्षणिक योग्यता	:	
13.	यदि आवेदक सेवा निवृत कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए	:	
14.	आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदार प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण	:	
15.	राष्ट्रीयता	:	
16.	आवेदक मध्यस्थ के रूप में स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार है (आवेदक निम्न में से किस ग्राम पंचायत पर कार्य करने हेतु इच्छुक हैं उसका स्पष्ट उल्लेख करें :– 1. ऊड़, सिरोही 2. नया सानवाड़ा, पिण्ड़वाड़ा 3. ऊथमण, शिवगंज 4. गनका, आबुरोड़ 5. सोनेला, रेवदर	:	
17.	आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, एनजीओ या किसी विशेष ग्रुप से जुडा है तो उसका विवरण	:	

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी मे सत्य हैं।